(116)

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /11–12 निगरानी –1844-I/12

रामप्रताप पिता भगवान जी उम्र 71 साल जाति कुमावत धंधा खेती व वकालात निवासी कुचडोद हा.मु. 33 कन्दौया गली शहर मन्दसौर ––––प्रार्थी

बनाम

1.प्रकाश पिता चॉदमल जैन उम्र 50 साल धंधा व्यापार निवासी कुचडोद हा.मुं. गोल चौराहा मन्दसौर म.प्र.

2.गेंदीबाई बेवा रामचन्द्रजी उम्र 75 साल धंधा गृहकार्य नि. कुचडोद

3.भगवन्तीबाई पुत्री रायचंद जी उम्र 25 साल धंधा नौकरी नि. कुचडोद

4.कमलाबाई पुत्री रायचंद जी उम्र 45 साल धंधा गृहकार्य नि. कुचडोद

5.भुलीबाई पुत्री रायचंद जी उम्र 40 साल धंधा गृहकार्य नि. कुचडोद हा.मु. संजीत नाका मन्दसौर म.प्र.

6.ग्राम पंचायत कुचडोद तहसील व जिला मन्दसौर म.प्र.

7.म.प्र.शासन ––विपक्षीगण

145
11/5/2012

दीपक कुमावत
11-5-2012

निगरानी आवेदन तहत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता 1959 बनाराजी आदेश दिनांक 30.4.12 प्र.क.8अ9/11–12 (प्रकाशचन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन) न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय मन्दसौर बईजलास श्री एल.पी.बौरासी सा. द्वारा पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर निगरानी निर्धारित न्याय शुल्क पर समय अवधि में पेश है:–

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और से निम्न निगरानी ज्ञाप पेश हैं ।

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

1. यह कि विपक्षी नम्बर 1 ने दिनांक 5.11.2011 को एक आवेदन इन्द्राज दुरस्ती नक्षा बाबत पेश किया । कि बन्दोबस्त दोरान नक्षा की आकृति छोटी बना दी गयी है। जबकि बन्दोबस्त सन्1995–96 में हुआ । ओर आवेदन दिनांक 5.11.11 को 14–15 साल बाद अवधि बाधित आवेदन दिया । तथा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करे ऐसी सहायता मांगी गयी लेकिन कोई शपथ पत्र पेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1844-एक/12 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	